डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल–५०५/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन १२२ (एम. पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## अधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 1994—माघ 29, शके 1915

## भाग ४

विषय सूची

(क) (१) मध्यप्रदेश विधेयक, (२) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (३) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (१) अध्यादेश, (२) मध्यप्रदेश अधिनियम, (३) संसद् के अधिनियम.
(ग) (१) प्रारूप नियम, (२) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

### प्रारूप नियम

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक २९ दिसम्बर १९९३

क्र. एफ. २३-१९१-८३-१-पच्चीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ (तृतीय वर्ग लिपिकीय) सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम, मध्यप्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ तृतीय वर्ग लिपिकीय सेवा भरती नियम, १९९३ है. यह नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

२. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है विभिन्न पदों के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, भरती के लिए इन नियमों के नियम ११ के अधीन संचालित प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ तृतीय वर्ग (लिपिकीय सेवा);

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा कोई जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध मे अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

३. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, १९६१ में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

४. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(१) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों.

(२) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों.

(३) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों.

५. वर्गीकरण, वेतनमान, आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उनसे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित किये गये पदों की संख्या अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

६. भरती का तरीका.—(१) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) चयन के लिए सीधी भरती परीक्षा द्वारा या व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा या दोनों तरीकों के द्वारा.

(ख) अनुसूची -४ के कालम (२) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवा में ऐसे पद, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें, मूल हैसियत में धारण करते हों.

(२) उपनियम (१) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के साथ अनुसूची-२ में दर्शाई गई प्रतिशतता से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(३) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा में की किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो और भरती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मंडल के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(४) उपनियम (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा में भरती संबंधी उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिन्हें सरकार इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

७. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम ६ में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन/परीक्षा के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

८. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—परीक्षा में भाग लेने/चयन किये जाने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(१) आयु.—(क) उसने चयन/परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-३ के कालम (३) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (४) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम ५ वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो मध्यप्रदेश सरकार के

कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक है, ३८ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा है और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है, ३८ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम ७ वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या संघटक इकाइयों में से किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा है और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया है.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हों, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई प्रतिरक्षा सेवा की सम्पूर्ण कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छंटनी की गई थी या जिसे अधिशिष्ट घोषित कर दिया गया था :—

(१) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवा निवृत्त रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है;

(२) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया है और जिन्हें—

(क) अल्पावधि के वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन (भरती) की शर्तें पूर्ण कर लेने पर,

सेवोन्मुक्त कर दिया गया है;

(३) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी;

(४) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं, जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हैं;

(५) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है;

(६) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है;

(७) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(८) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है;

(घ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा ३५ वर्ष होगी.

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा २ वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी.

(च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सदर्ण पति/पत्नी (पार्टनर) के संबंध में उच्चतर आयु सीमा ५ वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी.

(छ) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चर आयु सीमा ५ वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी.